Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Ceiling Revision No.- 243/2014

Basundhara Devi & Ors ..... Petitioners.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा विविध भू–हदबंदी वाद सं0–14/2009–10 में दिनांक–24.09.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष दायर भू–हदबंदी अपील वाद सं0–535/2010–11 में दिनांक–01.08.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी, कटिहार द्वारा विविध भू–हदबंदी वाद सं0–14/2009–10 में दिनांक–24.09.2009 को पारित आदेश में जिला गजट सं0–161 दिनांक–01.10.1981 द्वारा भूधारी हेमनारायण चौधरी वगैरह की भूमि सिलिंग अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि में से 5.42 एकड़ महेन्द्र नारायण झा, निवासी–ललियाही, कटिहार को बंदोबस्त की गई। अपर समाहर्त्ता द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है। आवेदिका का यह भी कथन है कि अपर समाहर्त्ता द्वारा मृतक व्यक्ति महेन्द्र नारायण झा के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो प्रभावी नहीं हो सकता है। उल्लेखनीय है कि महेन्द्र नारायण झा की मृत्यु दिनांक–13.08.1988 को हो चुकी थी जिसका प्रमाण पत्र निर्गत है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका वसुन्धरा देवी द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष विविध वाद सं0–535/2010–11 दायर किया गया। जिसे अंततः सम्यक् विचारोपरांत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करने के निदेश के साथ दिनांक–01.08.2014 को अस्वीकृत कर दिया गया। इस तथ्य पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपर समाहर्त्ता द्वारा विविध भू–हदबंदी वाद सं0–14/2009–10 में दिनांक–24.09.2009 को पारित आदेश महेन्द्र नारायण झा की मृत्यु उपरांत पारित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश को प्रभावी नहीं माना जा सकता है।	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 30.11.2023	अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर बिना विचार किये अपर समाहर्त्ता, भू–हदबंदी, कटिहार को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि स्व0 महेन्द्र नारायण झा के वैध वारिशानों सहित क्रमशः मामले से संबंधित सभी पक्षकारों एवं राज्य सरकार के पक्षों की विधिवत् सुनवाई करते हुए विधिसम्मत् एवं मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.